13.06.2025

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री चेतन रावल उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो के वारिसान क्रमशः 2/1 से 2/5 के अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित। दोनों पक्षों की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या दो के वारिसान क्रमशः 2/1 से 2/5 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या दो की निगरानी याचिका की प्रस्तुति से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। अतः प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया, जबकि कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध ना तो कोई कार्यवाही या निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है और ना ही मृत व्यक्ति के विरूद्ध निगरानी या कार्यवाही न्यायालय में दर्ज की जा सकती है। अतः मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रकरण परिपोषणीय नहीं होने से काबिले खारिज है। अतः अप्रार्थी संख्या दो के वारिसान क्रमशः 2/1 से 2/5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन को खारिज किया जाना फरमावें।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा जो निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह विधि सम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम से पट्टा विलेख जारी किया गया है, लेकिन मौके पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है एवं न ही किसी तरह का कोई निवास है। पट्टाधारक व उसका पति एवं उनके सभी वैध उत्तराधिकारी/वारिसान ग्राम भारजा में पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से ग्राम पंचायत में निवास नहीं करते है और इनके सभी रीति–रिवाज व धार्मिक कार्य भी ग्राम पंचायत भारजा में सम्पन्न नहीं होकर अन्यत्र ही सम्पन्न किए जाते है, जिससे प्रार्थी निगरानीकर्ता को पट्टाधारक की मृत्यु होने की कोई जानकारी नहीं थी। इसी कारण से पट्टाधारक को पक्षकार बनाया गया एवं मृत्यु की जानकारी भी न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर जानकारी में आया, जिस पर प्रार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी होते ही उनके वारिसान को रेकर्ड पर लेने हेतु आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी को निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के समय अप्रार्थी संख्या दो की मृत्यु की कोई जानकारी नहीं थी एवं मृत्यु की बिना जानकारी के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा जानबूझकर मृत व्यक्ति के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या दो के वारिसान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या दो को पक्षकार बनाया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या दो की प्रकरण पेश करने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के विधिक वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या दो की मृत्यु होने की कोई जानकारी नहीं थी। इसके

जिला कलेक्टर, सिरोही

Continue--

Scanned with CamScanner

विपरीत अप्रार्थी संख्या दो के वारिसानों के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो परिपोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रकरण अप्रार्थी संख्या दो को मुख्य पक्षकार के रूप में बनाकर प्रस्तुत किया है, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। अतः प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टया परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थी संख्या दो वारिसान क्रमशः 2/1 से 2/5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थी को यह विकल्प दिया जाता है कि वे अप्रार्थी संख्या दो के विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाकर नए सिरे से निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner